जालौन पुलिस

दिनांक –03.10.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 02 अभियोग में 03 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम – अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पुत्र हल्के बसोर निं0 मु0 नया पटेल नगर उरई कोतवाली उरई जनपद जालौन द्वारा वादी की पुत्री के साथ की गयी घटना में वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 416/2020 धारा 363/366/376(3) भादवि व ¾(2) पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 03.10.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र कुमार उपरोक्त को दोषी पाते हुये 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 40,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय- अभियुक्तगण 1. रामायण उफे भाई जी 2. राहुल पुत्रगण कमल सिंह निवासीगण भेड़ौंडाडा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर द्वारा थाना कदौरा क्षेत्र में की गयी डकैती की घटना के सम्बन्ध में थाना कदौरा में मु0अ0सं0 31/2016 धारा 395/397 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 03.10.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे/विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 1. रामायण उर्फ भाईजी 2. राहुल उपरोक्त को दोषी पाते हुये प्रत्येक को 07 वर्ष 06 माह का कारावास एवं 5,000-5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।